

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 1976/फाल्गुन 13, 1897
No. 53] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 1976/PHALGUNA 13, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 3rd March 1976

No. DRAWBACK/PN 30/76.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK Published in the Gazette of India, extraordinary, Dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

After sub-serial No. 2002 and the entries relating thereto, the following sub-serial No. and the entries shall be inserted, namely:—

Sub-S. No.	Description	Rate of drawback
2003	Bicycle tyres and tubes—	
	(1) Bicycle tyres	3.5% (Three point five per cent only) of f.o.b. value.
	(2) Bicycle tubes fitted with valves.	2.5% (Two point five per cent only) of f.o.b. value.

C. BHUJANGASWAMY, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1976

सं० प्रतिअदायगी/पी०एन०-30/76.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी०एन० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रमांक 2002 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप-क्रमांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
2003	साइकिलों के टायर और ट्यूब—	
(1)	साइकिलों के टायर	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 3.5 प्रतिशत (केवल तीन दशमलव पांच प्रतिशत)।
(2)	साइकिल की ट्यूबें, जिन पर वाल्व लगे हों	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2.5 प्रतिशत (केवल दो दशमलव पांच प्रतिशत)।

सी० भुजगस्वामी, उप सचिव।